संख्या– 372/III(1)/20–04(54)रि0या0/15

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 04 फरवरी, 2020

विषय : लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मलित करते हुये पेन्शन आदि का लाभ अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–774/23 का0प्र0–अधि0/19, दिनांक 30.11.2019 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में अवगत कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–4371/2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के मुख्य अंश निम्नवत हैं:–

"In view of reading down Rule 3 (8) of the U.P. Retirement Benefits Rules, 1961, we hold that services rendered in the work-charged establishment shall be treated as qualifying service under the aforesaid rule for grant of pension. The arrears of pension shall be confined to three years only before the date of the order. Let the admissible benefits be paid accordingly within three months. Resultantly, the appeals filed by the employees are allowed and filed by the State are dismissed".

2– मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.09.2019 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत/सेवानिवृत्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को सम्मिलित करते हुए पेन्शन आदि का लाभ उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं समय समय पर जारी संगत शासनादेशों/नियमों के प्राविधानानुसार अनुमन्य किये जाने की निम्न शर्तों के अनुसार श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्तानुसार पेन्शन आगणन एवं प्रकरण में यदि कोई विसंगति/कठिनाई हो तो प्रकरण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उप समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सुसंगत मद के नामें डाला जायेगा।

5– ऐसे कार्यप्रभारित/वर्कचार्ज कार्मिकों को जिन्हें कार्यप्रभारित के रूप में कोई लाभ अनुमन्य हुआ है उसका समायोजन कर लिया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 सं0–51/XXVII(10)/2020 दिनांक 04 फरवरी, 2020 द्वारा दी गयी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

507 (2019)

पृष्ठांकन संख्या– /III(1)/20-04(54)रि0या0/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0/अ0/रा0मा0/वि0/यां0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. वित्त अनुभाग–2/10, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्र0सं0 56 /23क0/05प0-अधि0/2020 दि0 05/02/2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार, तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता ------- लो0नि0वि0 -------।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता ---------- लो0नि0वि0 -------।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता ---------- लो0नि0वि0 -------।
4. अधिशासी अभियन्ता विधि प्रकोष्ठ को, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून,
5. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल- विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र दि0 04.02.2020 को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड-पत्रावली हेतु।

368 (2018)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
विभागाध्यक्ष, कार्यालय
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5/2/2020